



2026:AHC-LKO:20956

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 संख्या - 1885 वर्ष 2026

हीरा राम उर्फ हीराराम

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

और 4 अन्य के माध्यम से

..... विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता	:	नियाज़ अहमद
विपक्षीगण के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री आशीष कुमार शुक्ला द्वारा दायर वकालतनामा को अभिलेख पर ले लिया गया है।
3. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री नियाज़ अहमद, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष कुमार शुक्ला की बातें सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
4. इस आवेदन के माध्यम से, आवेदकों ने वाद संख्या 316/2024; राज्य बनाम हीराराम, जो मुकदमा अपराध संख्या 40/2024 से उत्पन्न हुआ है, धारा 376 (2) (एन), 363, 366 भारतीय दंड संहिता, बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5 (8)/6 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(5), 3(2)(5-ए) के अंतर्गत कार्यवाही को खारिज

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

करने की प्रार्थना की है। पुलिस स्टेशन-अलीगंज, जिला-अंबेडकर नगर से संबंधित मामला, जो माननीय विशेष न्यायाधीश, पाक्सो अधिनियम, अंबेडकर नगर की अदालत में लंबित है, साथ ही दिनांक 28.5.2024 की आरोपपत्र संख्या 77/24, धारा 376 (2) (एन), 363, 366 आईपीसी, बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5 (8)/6 और अनुसूचित जाति एवं जनजातीय जनजाति अधिनियम की धारा 3 (2) (5), 3 (2) (5-ए) के अंतर्गत, दिनांक 03.02.2026 के समझौते के आलोक में।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक और कथित पीड़िता दोनों बालिग हैं और उनका विवाह संपन्न हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता ने निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष के पक्ष का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों पक्ष आपस में बैठकर सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद का निपटारा कर चुके हैं, जिसे 3 फरवरी 2026 को लिखित रूप में दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद आवेदक ने निचली अदालत को समझौते के दस्तावेज का सत्यापन करने का निर्देश देने हेतु यह आवेदन दायर किया और 23 मार्च 2026 के आदेश के अनुपालन में सत्यापन किया गया तथा रिपोर्ट 26 फरवरी 2026 के आदेश द्वारा इस न्यायालय को प्रस्तुत की गई है। उन्होंने निवेदन किया कि इस मामले में आगे की आपराधिक कार्यवाही उत्पीड़न के समान होगी और अतः वाद अपराध संख्या क्राइम नंबर 375/2019 के अंतर्गत चल रही इस आपराधिक कार्यवाही को खारिज किया जाना चाहिए।
6. विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का समर्थन किया है और निवेदन किया है कि पक्षों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है और विपक्षी पक्ष संख्या 2 को कोई शिकायत नहीं है, इसलिए आवेदकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही खारिज की जा सकती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. राज्य के विद्वान अधिवक्ता को उपरोक्त तर्क पर कोई आपत्ति नहीं है।
8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दलीलों पर विचार करते हुए, मैं पाता हूँ कि पक्षकारों के बीच 03.02.2026 को समझौता हुआ था और उक्त समझौते का सत्यापन 13.03.2026 को किया गया था और अब, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के बयान के अनुसार, वे मुकदमा अपराध संख्या 40/2024 से संबंधित उपरोक्त आपराधिक मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।
9. उपरोक्त के दृष्टिगत, चूंकि आवेदकों और विपक्षी पक्षों ने 03.02.2026 को समझौता कर लिया है और अब कोई विवाद शेष नहीं है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2003)4 एससीसी 675; निखिल मर्चेट बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2008)9 एससीसी 677; मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य (2008)16 एससीसी 1; ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012)10 एससीसी 303; और नरेंद्र सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (2014)6 एससीसी 466 के निर्णयों के दृष्टिगत उपर्युक्त आपराधिक मामले में आगे की आपराधिक कार्यवाही खारिज की जानी चाहिए।
10. तदनुसार, वाद संख्या 316/2024; राज्य बनाम हीराराम, मुकदमा अपराध संख्या 40/2024 से उत्पन्न, धारा 376 (2) (एन), 363, 366 भारतीय दंड संहिता, धारा 5 (8)/6 यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम, 2012 और धारा 3(2)(5), 3(2)(5-ए) के अंतर्गत, पुलिस स्टेशन अलीगंज, जिला अंबेडकर नगर से संबंधित, अंबेडकर नगर के माननीय विशेष न्यायाधीश, पाक्सो अधिनियम की अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाही को एतद्वारा **खारिज** किया जाता है।
11. यह समझौता इस आदेश का हिस्सा होगा।
12. तदनुसार आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. अभिलेख में दर्ज किया गया।

मार्च 23, 2026

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

वी. सिन्हा

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।